विवरणिका–आवेदन पत्र

सत्र : 2016–17

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
हिंदी संस्थान मार्ग, आगरा–282 005
दूरभाष : 0562–2530683/684/705
फैक्स : 0562–2530684/159
वेबसाइट : **www.hindisansthan.org**
ई–मेल : **directorofkhs@yahoo.co.in, registrarkhs@yahoo.co.in**
क्षेत्रीय केंद्र : दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, शिलांग, मैसूर, दीमापुर, भुवनेश्वर, अहमदाबाद

© केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा

मूल्य : ₹ 200/–

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा–282 005 द्वारा प्रकाशित और
मैसर्स दि प्रिंट्स होम, बेलनगंज, आगरा–282004 से मुद्रित।

परिचय

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा 1961 ई. स्थापित स्वायत्त संगठन **केंद्रीय हिंदी शिक्षण मण्डल** द्वारा संचालित अखिल भारतीय स्तर की एक स्वायत्तशासी शैक्षिक संस्था है।

संस्थान का मुख्यालय आगरा में स्थित है। इसके आठ केंद्र इन नगरों में सक्रिय हैं–दिल्ली (1970), हैदराबाद (1976), गुवाहाटी (1978), शिलांग (1987), मैसूर (1988), दीमापुर (2003), भुवनेश्वर (2003) तथा अहमदाबाद (2006)।

हिंदी भारत की एकता की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आधुनिक भारत के लिए राष्ट्रीय एकता सबसे बड़ा मूल्य है, जो केंद्रीय हिंदी संस्थान के हर कार्यक्रम के मूल में विद्यमान है। इसी को ध्यान में रखकर केंद्रीय हिंदी शिक्षण मण्डल ने अपने सहमति पत्र (मेमोरेंडम) में कुछ संकल्प एवं कार्य निर्धारित किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं–

केंद्रीय हिंदी शिक्षण मण्डल के कार्य

(i) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुपालन में अखिल भारतीय भाषा के रूप में हिंदी का विकास करते हुए ऐसे पाठ्यक्रम प्रस्तुत, संचालित एवं उपलब्ध कराना जो इस भाषा के विकास और प्रसार की दृष्टि से उपयोगी हों।

(ii) विभिन्न स्तरों पर हिंदी शिक्षण की गुणवत्ता सुधारना, हिंदी शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, हिंदी भाषा और साहित्य के उच्चतर अध्ययन का प्रबन्ध करना तथा हिंदी के साथ विभिन्न भारतीय भाषाओं के तुलनात्मक भाषा वैज्ञानिक अध्ययन को प्रोत्साहित करना और हिंदी भाषा एवं शिक्षण विषयक विविध अनुसंधान कार्यों का आयोजन करना।

(iii) विद्यार्थियों को रहने के लिए छात्रावासों का निर्माण, निरीक्षण एवं नियंत्रण करना।

(iv) अपने विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों की परीक्षा लेना तथा उपाधि प्रदान करना।

(v) विभिन्न स्तर की पाठ्य पुस्तकें और अनुसंधान पुस्तकें तैयार करना और प्रकाशित करना।

(vi) संस्थान के उद्देश्यों के अनुपालन में आवश्यकतानुसार पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन करना।

(vii) संस्थान की प्रकृति एवं उद्देश्यों के अनुरूप अन्य उन संस्थाओं के साथ जुड़ना या सदस्यता ग्रहण करना या सहयोग करना या सम्मिलित होना जिनके उद्देश्य संस्थान के उद्देश्यों से मिलते–जुलते हों।

(viii) समय–समय पर नियमानुसार अध्येतावृत्ति (फैलोशिप), छात्रवृत्ति और पुरस्कार, सम्मान पदक की स्थापना कर हिंदी से सम्बंधित कार्यों को प्रोत्साहित करना आदि।

संस्थान के कार्यक्षेत्र

केंद्रीय हिंदी शिक्षण मण्डल के उपर्युक्त संकल्पों, उद्देश्यों एवं कार्यों को सम्पन्न करने के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान ने अपनी गतिविधियों का निरन्तर विस्तार किया है, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

1. शिक्षणपरक कार्यक्रम :

(क) विदेशी विद्यार्थियों के लिए हिंदी शिक्षण :

भारत सरकार की (विदेशों में) हिंदी प्रचार–प्रसार योजना एवं सांस्कृतिक आदान–प्रदान के अंतर्गत चुने गये विदेशी छात्रों के लिए मुख्यालय आगरा और दिल्ली केंद्र के अंतर्गत अग्रलिखित पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं–

(i) हिंदी भाषा दक्षता प्रमाण पत्र – 100

(ii) हिंदी भाषा दक्षता डिप्लोमा – 200

(iii) हिंदी भाषा दक्षता उच्च डिप्लोमा – 300

(iv) स्नातकोत्तर हिंदी डिप्लोमा – 400

दिल्ली केंद्र के अंतर्गत उपर्युक्त पाठ्यक्रमों (1 से 3 तक) का संचालन स्ववित्त पाठ्यक्रम योजना के अंतर्गत किया जाता है। ये पाठ्यक्रम आईसीसीआर के माध्यम से कोलम्बो (श्रीलंका) में भी संचालित किए जाते हैं।

(ख) सांध्यकालीन पाठ्यक्रम (स्व–वित्तपोषित) :

संस्थान के मुख्यालय आगरा और दिल्ली केंद्र के अंतर्गत निम्नलिखित पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं–

(i) परा–स्नातकोत्तर अनुप्रयुक्त हिंदी भाषाविज्ञान डिप्लोमा

(ii) स्नातकोत्तर अनुवाद सिद्धान्त एवं व्यवहार डिप्लोमा

(iii) स्नातकोत्तर जनसंचार एवं पत्रकारिता डिप्लोमा

2. शिक्षणपरक कार्यक्रम :

(क) हिंदीतर राज्यों के विद्यार्थियों के लिए अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम :

हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के हिंदी शिक्षकों और हिंदी सीखने के लिए इच्छुक विद्यार्थियों के लिए मुख्यालय के **अध्यापक शिक्षा विभाग** के अंतर्गत कक्षा–शिक्षण माध्यम से नियमित एकवर्षीय तथा द्विवर्षीय प्रशिक्षणपरक पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं–

(i) **हिंदी शिक्षण निष्णात**–एम. एड. समकक्ष पाठ्यक्रम (आगरा) (द्विवर्षीय)

(ii) **हिंदी शिक्षण पारंगत**–बी. एड. समकक्ष पाठ्यक्रम (आगरा) (द्विवर्षीय)।

(iii) **हिंदी शिक्षण प्रवीण**–टी.टी.सी./डिप्लोमा समकक्ष पाठ्यक्रम (आगरा, दीमापुर) (द्विवर्षीय)

(iv) **त्रिवर्षीय हिंदी शिक्षक डिप्लोमा**–हिंदी शिक्षण संस्थान, दीमापुर (नागालैंड) में त्रिवर्षीय हिंदी शिक्षण डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम/द्वितीय वर्ष का अध्ययन पूरा कर लेने के बाद वहाँ के विद्यार्थियों के लिए तृतीय वर्ष का शिक्षण कार्य केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में होता है।

(v) **विशेष गहन हिंदी शिक्षण–प्रशिक्षण पाठ्यक्रम**–भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के अप्रशिक्षित हिंदी अध्यापकों के लिए (आगरा, दीमापुर)।

(vi) **द्विवर्षीय हिंदी शिक्षक डिप्लोमा**–मिज़ोरम राज्य के लिए।

(ख) दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम (स्ववित्तपोषित) :

हिंदीतर भाषी राज्यों के सेवारत हिंदी अध्यापकों के लिए दूरस्थ अध्यापक शिक्षा विभाग के अंतर्गत दो वर्ष की अवधि का हिंदी शिक्षण पारंगत (पत्राचार–सह–सम्पर्क पाठ्यक्रम) का संचालन मुख्यालय आगरा से किया जाता है।

3. नवीकरण एवं संवर्द्धनात्मक कार्यक्रम :

हिंदी राज्यों के अध्यापकों के लिए केंद्रों द्वारा नवीकरण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसका मार्गदर्शन नवीकरण एवं भाषा प्रसार विभाग तथा शैक्षणिक समन्वयक कार्यालय करता है।

नवीकरण एवं भाषा प्रसार विभाग गुजरात, कर्नाटक, असम, मिजोरम और मणिपुर राज्य के हिंदी प्रशिक्षण महाविद्यालयों के छात्रों के लिए 30 दिवसीय भाषा संवर्द्धनात्मक कार्यक्रम तथा सिक्किम राज्य के लिए 21 दिवसीय नवीकरण कार्यक्रम आगरा में चलाता है।

राज्य सरकारों द्वारा प्रतिनियुक्त अध्यापक राज्यानुसार केंद्रीय हिंदी संस्थान के निम्नलिखित विवरण के अनुसार केंद्रों में नवीकरण कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं–

- **दिल्ली केंद्र**–पंजाब, जम्मू–कश्मीर एवं हिमाचल (आदिवासी क्षेत्र) राज्यों के हिंदी अध्यापकों के लिए।
- **हैदराबाद केंद्र**–आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र एवं केंद्र शासित पांडिचेरी एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हिंदी अध्यापकों के लिए।
- **गुवाहाटी केंद्र**–असम, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम के हिंदी अध्यापकों के लिए।
- **शिलांग केंद्र**–मेघालय एवं मिजोरम के हिंदी अध्यापकों के लिए।
- **मैसूर केंद्र**–कर्नाटक, केरल और केंद्र शासित लक्षद्वीप के अध्यापकों के लिए।
- **दीमापुर केंद्र**–नागालैण्ड, मणिपुर के हिंदी अध्यापकों के लिए।
- **भुवनेश्वर केंद्र**–उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के हिंदी अध्यापकों के लिए।
- **अहमदाबाद केंद्र**–गुजरात, दमन दीव तथा दादर और नागर हवेली के हिंदी अध्यापकों के लिए।

4. अनुसंधानपरक कार्यक्रम :

केंद्रीय हिंदी का एक प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यों को निरन्तर अग्रसर करना है–

(i) हिंदी शिक्षण की अधुनातन प्रविधियों के विकास के लिए शोध।

(ii) हिंदी भाषा और अन्य भारतीय भाषाओं का तुलनात्मक व्यतिरेकी अध्ययन।

(iii) हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में आधारभूत एवं अनुप्रयुक्त अनुसंधान।

(iv) हिंदी भाषा के आधुनिकीकरण और भाषा–प्रौद्योगिकी के विकास के उद्देश्य से अनुसंधान।

(v) हिंदी का समाज भाषावैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन।

(vi) प्रयोजनपरक हिंदी से सम्बंधित शोध कार्य।

उपर्युक्त अनुसंधानपरक कार्यों के दौरान द्वितीय भाषा एवं विदेशी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के लिए उपयोगी शिक्षण सामग्री का निर्माण भी संस्थान द्वारा किया जाता है।

5. शिक्षण सामग्री निर्माण और भाषा विकास :

केंद्रीय हिंदी संस्थान शिक्षण–प्रशिक्षण और अनुसंधान के अलावा हिंदीतर राज्यों के विद्यार्थियों के लिए हिंदी पाठ्य–पुस्तकों, कोश और आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए हिंदी शिक्षण के लिए उपयोगी सामग्री का निर्माण करता है–

(i) हिंदीतर राज्यों और जनजाति क्षेत्र के विद्यालयों के लिए हिंदी शिक्षण सामग्री निर्माण।

(ii) हिंदीतर राज्यों के लिए हिंदी के व्यतिरेकी व्याकरण एवं द्विभाषी अध्येता कोशों का निर्माण।

(iii) विदेशी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण पाठ्यपुस्तकों का निर्माण।

(iv) कम्प्यूटर साधित हिंदी शिक्षण सामग्री का निर्माण।

(v) दृश्य–श्रव्य माध्यमों से हिंदी शिक्षण सम्बन्धी पाठ्य सामग्री का निर्माण।

(vi) हिंदी तथा हिंदीतर भारतीय भाषाओं के द्विभाषी/त्रिभाषी शब्दकोशों का निर्माण।

(क) प्रकाशन :

- संस्थान द्वारा हिंदी भाषा एवं साहित्य, भाषाविज्ञान अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान, तुलनात्मक एवं व्यतिरेकी एवं व्यतिरेकी अध्ययन, भाषा एवं साहित्य शिक्षण, कोश विज्ञान, द्विभाषी कोश आदि से सम्बद्ध विभिन्न विषयों पर उपयोगी पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है। अब तक 200 से अधिक पुस्तकें संस्थान द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है। साथ ही विभिन्न स्तरों एवं अनेक प्रयोजनों की पाठ्यपुस्तकों तथा अध्यापक निर्देशिकाओं का भी प्रकाशन किया गया है।
- संस्थान द्वारा निम्नलिखित पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा रहा है–
  1. **गवेषणा**–अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान हिंदी शिक्षण और आलोचना की त्रैमासिक पत्रिका (अब तक 105 अंक प्रकाशित)।
  2. **मीडिया**–दिल्ली केंद्र की त्रैमासिक पत्रिका (2006 से प्रकाशन)।
  3. **समन्वय पूर्वोत्तर**–गुवाहाटी, शिलांग एवं दीमापुर केंद्रों की संयुक्त वार्षिक पत्रिका (अब तक 22 अंक प्रकाशित)।
  4. **समन्वय दक्षिणायन**–हैदराबाद और मैसूर केंद्र की संयुक्त वार्षिक पत्रिका।
  5. **समन्वय पश्चिम**–महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश सहित उत्तर भारत के सभी राज्यों के लिए वार्षिक पत्रिका।
- त्रैमासिक बुलेटिन–**संस्थान समाचार**
- इनके अलावा विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों की पत्रिकाएँ **हिंदी विश्व भारती** और **समन्वय** का प्रकाशन वार्षिक रूप से होता है।

(ख) प्रमुख योजनाएँ :

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के **अनुसंधान एवं भाषा विकास विभाग एवं सूचना एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग** द्वारा संचालित कुछ प्रमुख परियोजनाएँ इस प्रकार हैं–

1. **हिंदी कॉर्पोरा परियोजना**–केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा एवं भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी की प्रकाशित पुस्तकों के माध्यम से हिंदी कॉर्पोरा परियोजना के अंतर्गत तीन करोड़ से ऊपर शब्दों का संकलन किया जा चुका है। अब तक संकलित सामग्री का ऑटोमेटिक व्याकरणिक कोटि निर्धारण किया जा रहा है। इस संकलित सामग्री का उपयोग करते हुए संस्थान द्वारा **हिंदी की आधारभूत शब्दावली** (2008) और **हिंदी क्रिया विशेषण शब्दकोश** (2009) का निर्माण किया जा चुका है। वर्तमान में इस परियोजना के अंतर्गत शिक्षार्थी केन्द्रित विभिन्न प्रकार के कोशों का निर्माण किया जा रहा है।
2. **भाषा–साहित्य सी. डी. निर्माण परियोजना**–हिंदी को हिंदी शिक्षार्थियों और हिंदी प्रेमी आम जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से इस योजना के अंतर्गत साहित्यकारों के जीवन और कृतित्व पर आधारित ऑडियो, वीडियो के साथ–साथ हिंदी भाषाशिक्षण के मल्टीमीडिया कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। परियोजना के अंतर्गत अभी तक **सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञेय, त्रिलोचन और फिराक गोरखपुरी** की रचनाओं पर आधारित ऑडियो सी. डी. तैयार की जा चुकी है। महादेवी वर्मा के जीवन और कृतित्व पर आधारित एक वीडियो वृत्तचित्र: **पंथ होने दो अपरिचित** का भी निर्माण किया गया है और **नज़ीर अकबराबादी** के जीवन और कृतित्व पर आधारित एक अन्य वीडियो वृत्तचित्र निर्माण के अन्तिम चरण में है।
3. **हिंदी लोक शब्दकोश परियोजना**–हिंदी लोक शब्दकोश परियोजना के अंतर्गत हिंदी परिवार की 48 लोकभाषाओं के 48 खंडों में शब्द कोशों का निर्माण होना है। इस योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत भोजपुरी, ब्रजभाषा राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, अवधी व मालवी कांगड़ी, गढ़वाली, मगही और हरियाणवी लोकभाषाओं के त्रिभाषी, यूनिकोडित डिजिटल लोक शब्दकोशों का निर्माण किया जा रहा है।

4. **लघु हिंदी विश्वकोश परियोजना**—लघु हिंदी विश्वकोश परियोजना के अंतर्गत विभिन्न विषय क्षेत्रों से सम्बंधित लगभग 15000 संक्षिप्त प्रविष्टियों वाले छात्रोपयोगी विश्वकोश का निर्माण किया जा रहा है।

6. विस्तारपरक कार्यक्रम :

(i) संस्थान के मुख्यालय सहित विभिन्न केंद्रों में सम्पर्क, समन्वयन और वैचारिक आदान–प्रदान के उद्देश्य से **विशेष विस्तार व्याख्यान** एवं **कार्यशालाओं** का आयोजन करना।

(ii) संस्थान के विभिन्न केंद्रों और मुख्यालय में हर साल अखिल भारतीय संवाद एवं व्यापक भाषाई सांस्कृतिक आदान–प्रदान के उद्देश्य से प्रतिवर्ष **भाषाविज्ञान, हिंदी साहित्य, हिंदी शिक्षण, पत्रकारिता, भाषा प्रौद्योगिकी, मीडिया** आदि विषयों पर राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन करना।

(iii) हिंदीतर भाषी राज्यों के हिंदी शिक्षण–प्रशिक्षण महाविद्यालयों एवं प्रचार संस्थाओं के छात्राध्यापकों के लिए प्रतिवर्ष अखिल भारतीय **हिंदी वाद–विवाद, निबंध लेखन एवं कविता आवृत्ति** प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

(iv) विद्यार्थियों के लिए सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन, प्रादेशिक एवं विश्व के विभिन्न देशों के लोक संगीत, नृत्य एवं लघु नाटक प्रतियोगिताओं का आयोजन।

(v) संस्थान मुख्यालय आगरा एवं इसके आठ केंद्रों द्वारा वहाँ के क्षेत्रीय महाविद्यालयों के सहयोग से लघु बजटीय संगोष्ठियों का आयोजन करना।

(vi) स्थानीय नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं हिंदी शिक्षण संस्थाओं का सहयोग करना।

7. हिंदी सेवी सम्मान योजना :

यह योजना सन् 1989 में प्रारम्भ हुई। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के उन्नयन, विकास एवं प्रचार–प्रसार हेतु उत्कृष्ट कार्यों के लिए हर वर्ष 14 समर्पित विद्वानों को संस्थान द्वारा एक लाख रुपए, शॉल तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित/पुरस्कृत किया जाता है। इन पुरस्कारों का विवरण निम्न प्रकार है—

(i) गंगाशरण सिंह पुरस्कार
(ii) गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार
(iii) आत्माराम पुरस्कार
(iv) सुब्रह्मण्य भारती पुरस्कार
(v) महापंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार
(vi) डॉ. जार्ज ग्रियर्सन पुरस्कार
(vii) पद्मभूषण डॉ. मोटूरि सत्यनारायण पुरस्कार
(viii) सरदार बल्लभभाई पटेल पुरस्कार
(ix) दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार
(x) विवेकानन्द युवा लेखन पुरस्कार।

संस्थान के सम्बद्ध प्रशिक्षण महाविद्यालय :

हिंदी शिक्षण–प्रशिक्षण के स्तर को समुन्नत करने तथा पाठ्यक्रम में एकरूपता लाने के उद्देश्य से हिंदीतर भाषी राज्यों के उत्तर गुवाहाटी (असम), आइजोल (मिजोरम), मैसूर (कर्नाटक), दीमापुर (नागालैण्ड), के राजकीय हिंदी शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालयों को संस्थान से सम्बद्ध किया गया है। इन महाविद्यालयों में संस्थान के पाठ्यक्रम का उपयोग किया जाता है।

हमारी भावी योजनाएँ :

- **नये पाठ्यक्रमों की प्रस्तुति**—संस्थान मुख्यालय और विभिन्न केंद्रों पर कुछ नये दक्षतापरक पाठ्यक्रम आरम्भ करने की कार्य योजना शिक्षण पद्धति एवं प्रविधि की गुणवत्ता, नये तकनीकी संसाधनों के उपयोग के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की योजना संस्थान के विविध पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों और प्रशिक्षणार्थियों की संख्या और देशभर में संस्थान का प्रसार क्षेत्र बढ़ाने की योजना लागू।
- विश्व के कुछ देशों में हिंदी पीठ तथा साथ ही भारत के विभिन्न राज्यों के कुछ शहरों में केंद्र स्थापित करने की योजना।

- **लघु हिंदी विश्वकोश** निर्माण की परियोजना पूर्णता की ओर।
- हिंदी की 48 लोकभाषाओं (बोलियों) पर **डिजिटल त्रिभाषी शब्दकोश** निर्माण का कार्य लगातार प्रगति पर।
- संस्थान के सभी प्रमुख पाठ्यक्रमों में आवश्यकतानुसार अनिवार्य **हिंदी कम्प्यूटर प्रशिक्षण** का समावेश अधुनातन तकनीक पर आधारित **हिंदी शिक्षण** एवं **ऑनलाइन हिंदी शिक्षण** की योजना पर कार्य शुरू।
- संस्थान के विभिन्न केंद्रों पर **भाषा प्रयोगशाला** स्थापित करने की योजना।
- मुख्यालय आगरा में एक **बहु–उद्देशीय प्रेक्षागृह** का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर।
- हिंदी के प्रचार–प्रसार एवं लोकप्रियता के लिए शैक्षिक ऑडियो–विजुअल कार्यक्रम, लघु फिल्म निर्माण, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और शैक्षिक–सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन।
- योग केंद्र स्थापित करना।
- शिलांग केंद्र में भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ।
- आवासीय परिसर में बच्चों के लिए फुलवारी उद्यान का निर्माण।
- **संस्थान के अकादमिक कार्यक्रमों का विदेशों में विस्तार**—अंतरराष्ट्रीय जगत में संस्थान के विदेशी पाठ्यक्रम की लोकप्रियता को देखते हुए भारतीय सांस्कृतिक केंद्र कोलम्बो (श्रीलंका) में विदेशी पाठ्यक्रम का केंद्र वर्ष 2007–08 से प्रारम्भ हुआ एवं नान्गरहर विश्वविद्यालय, जलालाबाद, **अफगानिस्तान** में स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम तैयार किया गया। एक उच्चस्तरीय शैक्षिक समिति इन पाठ्यक्रमों को बहुआयामी दृष्टि से अद्यतन करने का कार्य कर रही है। विश्वभर में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र के कुल 36 केंद्रों पर संस्थान की गतिविधियों को प्रारम्भ करने पर विचार शुरु।

पाठ्यक्रमों का सामान्य विवरण

1. **हिंदी शिक्षण निष्णात :**

यह पाठ्यक्रम एम. एड. के समकक्ष है। पाठ्यक्रम की अवधि एन. सी.टी.ई. के मानकानुसार दो वर्ष है। यह पाठ्यक्रम मुख्यालय आगरा में ही संचालित किया जाता है।

प्रवेश योग्यताएँ :

प्रवेश की न्यूनतम एवं अनिवार्य योग्यताएँ निम्नलिखित हैं–

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ बी.ए. हिंदी विषय सहित तथा हिंदी शिक्षण प्रविधि के साथ 55% अंकों सहित बी.एड. / एल.टी. अथवा हिंदी शिक्षण पारंगत

या

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक (बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम.) की उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा इंटरमीडिएट में हिंदी विषय सहित एवं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से बी0ए0 के समकक्ष हिंदी की उपाधि (विद्वान, रत्न, शास्त्री आदि) तथा हिंदी शिक्षण प्रविधि के साथ 55% अंकों सहित बी.एड. / एल.टी. अथवा हिंदी शिक्षण पारंगत

2. **हिंदी शिक्षण पारंगत :**

यह पाठ्यक्रम बी०एड० के समकक्ष है। पाठ्यक्रम की अवधि एन. सी.टी.ई. के मानकानुसार दो वर्ष है। यह पाठ्यक्रम वर्तमान में मुख्यालय आगरा में ही संचालित किया जाता है। संस्थान से संबद्ध निम्नलिखित महाविद्यालयों में भी यह पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है–

1. राजकीय हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, उत्तर गुवाहाटी (असम)
2. मिजोरम हिंदी प्रशिक्षण महाविद्यालय, आइजोल (मिजोरम)
3. राजकीय हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, मैसूर (कर्नाटक)

प्रवेश योग्यताएँ :

प्रवेश की न्यूनतम एवं अनिवार्य योग्यताएँ निम्नलिखित हैं–

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ बी0ए0 हिंदी विषय सहित

अथवा

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में 50% अंकों के साथ कला स्नातक, मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा इंटरमीडिएट में हिंदी विषय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से बी0ए0 के समकक्ष हिंदी की उपाधि

2. बी.ए. स्तर पर सामाजिक अध्ययन (इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र) में से कोई एक विषय अनिवार्य है।

3. **हिंदी शिक्षण प्रवीण :**

यह पाठ्यक्रम टी०टी०सी०/डिप्लोमा के समकक्ष है। पाठ्यक्रम की अवधि एन.सी.टी.ई. के मानकानुसार दो वर्ष है। यह पाठ्यक्रम संस्थान के मुख्यालय आगरा और दीमापुर केंद्र पर तथा संबद्ध मिज़ोरम हिंदी प्रशिक्षण महाविद्यालय, आइजोल (मिजोरम) में संचालित किया जाता है।

प्रवेश योग्यताएँ :

(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट (हायर सेकेंड्री, प्री–यूनिवर्सिटी) हिंदी विषय सहित

अथवा

मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी विषय में 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट (हायर सेकेंड्री, प्री–यूनिवर्सिटी) मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा हाईस्कूल हिंदी विषय सहित उत्तीर्णता, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से इण्टरमीडिएट के समकक्ष हिंदी प्रमाण पत्र (कोविद, भूषण आदि)

(ii) इण्टरमीडिएट स्तर पर सामाजिक अध्ययन (इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र) में से कोई एक विषय अनिवार्य है।

4. **त्रिवर्षीय हिंदी शिक्षक डिप्लोमा (नागालैंड) तृतीय वर्ष :**

यह पाठ्यक्रम प्रमुख रूप से नागालैंड राज्य के लिए संचालित किया जाता है। यह पाठ्यक्रम प्रारंभ के दो वर्ष राजकीय हिंदी संस्थान, दीमापुर (नागालैंड) में संचालित होता है तथा अंतिम वर्ष का प्रशिक्षण केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा में दिया जाता है।

प्रवेश योग्यतायें–हिंदी सहित मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा हाईस्कूल परीक्षा में उत्तीर्णता।

5. **विशेष गहन हिंदी शिक्षण–प्रशिक्षण पाठ्यक्रम :**

यह पाठ्यक्रम पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न प्रांतों के उन अभ्यर्थियों के लिए है, जिनके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से हिंदी की कोई औपचारिक उपाधि नहीं है।

इस पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष है। यह पाठ्यक्रम केंद्रीय हिंदी संस्थान के मुख्यालय आगरा और दीमापुर केंद्र (केवल नागालैंड एवं मिजोरम राज्य के लिए) में संचालित किया जाता है। इसमें प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों का राज्य सरकार के शिक्षा सचिव से प्रतिनियुक्त होकर आना अनिवार्य है।

प्रवेश योग्यताएँ : पूर्वोत्तर राज्यों के शासकीय सेवारत हिंदी अध्यापक

6. **द्विवर्षीय हिंदी शिक्षक डिप्लोमा–मिज़ोरम राज्य के लिए :**

प्रवेश योग्यतायें–हिंदी सहित हाईस्कूल परीक्षा में उत्तीर्णता।

पाठ्यक्रमों की रूपरेखा

1. **<u>हिंदी शिक्षण निष्णात</u> (प्रथम वर्ष) :**

1. शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्रीय आधार
2. अधिगम मनोविज्ञान एवं मनोभाषिकी
3. शैक्षिक अनुसंधान
4. अध्यापक शिक्षा
5. मूल्यांकन और मापन
6. भाषाविज्ञान एवं भारतीय भाषा–चिंतन की परंपरा
7. हिंदी भाषा की संरचना
8. हिंदी साहित्य

2. **<u>हिंदी शिक्षण निष्णात</u> (द्वितीय वर्ष) :**

1. शिक्षा अध्ययन एवं समावेशी शिक्षा
2. शैक्षिक प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण
3. कंप्यूटर साधित भाषा शिक्षण
4. पाठ्यचर्या अध्ययन
5. संप्रेषण और शैक्षिक तकनीकी
6. प्रयोजनमूलक हिंदी
7. वैकल्पिक प्रश्न–पत्र (तुलनात्मक शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, व्यतिरेकी भाषाविज्ञान एवं त्रुटि विश्लेषण, समकालीन विमर्श, शिक्षण सामग्री निर्माण, विशेष अध्ययन दिनकर (रश्मिरथी के संदर्भ में)
8. लघु शोध प्रबंध

2. **<u>हिंदी शिक्षण पारंगत</u> (प्रथम वर्ष) :**

1. शिक्षा की बुनियादी अवधारणाएँ एवं समाजशास्त्रीय आधार 2. अधिगम मनोविज्ञान एवं विशिष्ट बालकों की शिक्षा
3. भाषाविज्ञान
4. हिंदी भाषा की संरचना एवं भाषा तुलना प्रविधि
5. भाषा परिमार्जन
6. हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास
7. अन्य भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण विधि
8. सामाजिक अध्ययन–शिक्षण विधि

<u>हिंदी शिक्षण पारंगत</u> (द्वितीय वर्ष) :

1. भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं समस्याएँ
2. विद्यालय प्रशासन, प्रबंधन और पाठ्यचर्या अध्ययन
3. शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन
4. जेंडर विमर्श, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण शिक्षा
5. संप्रेषण एवं सूचना प्रौद्योगिकी
6. हिंदी साहित्य

प्रायोगिक खंड :

1. **शिक्षण अभ्यास–हिंदी शिक्षण**
2. **शिक्षण अभ्यास–सामाजिक अध्ययन शिक्षण**

शिक्षण अभ्यास–हिंदी शिक्षण

कुल अंक–200

अंक विभाजन :

बाह्य प्रायोगिक परीक्षा	–	100
समालोचना–आंतरिक प्रयोगिक परीक्षा	–	30
पाठ योजना निर्माण + शिक्षण	–	50
सहायक सामग्री	–	10
साथी पाठ निरीक्षण	–	10
		200

कुल पाठ	–	60	
सूक्ष्म शिक्षण	–	20	10 पाठ साहित्य, 10 पाठ भाषा शिक्षण
विद्यालयीय शिक्षण	–	40	20 पाठ साहित्य, 20 पाठ भाषा शिक्षण

शिक्षण अभ्यास—सामाजिक अध्ययन शिक्षण

कुल अंक—200

अंक विभाजन :

बाह्य प्रायोगिक परीक्षा	—	100
समालोचना—आंतरिक प्रयोगिक परीक्षा	—	30
पाठ योजना निर्माण + शिक्षण	—	50
सहायक सामग्री	—	10
साथी पाठ निरीक्षण	—	10
		200

कुल पाठ	—	60	
सूक्ष्म शिक्षण	—	20	8 इतिहास, 8 भूगोल, 4 नागरिक शास्त्र
विद्यालयीय शिक्षण	—	40	16 इतिहास, 16 भूगोल, 8 नागरिक शास्त्र

3. **हिंदी शिक्षण प्रवीण (प्रथम वर्ष) :**

1. भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा	2. बाल मनोविज्ञान
3. संप्रेषण एवं सूचना प्रौद्योगिकी	4. सामान्य भाषाविज्ञान
5. हिंदी भाषा की संरचना	6. भाषा परिमार्जन
7. अन्य भाषा हिंदी शिक्षण	8. सामाजिक अध्ययन शिक्षण

4. **हिंदी शिक्षण प्रवीण (द्वितीय वर्ष) :**

1. विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन	2. भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं समस्याएँ
3. शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन	4. पर्यावरण शिक्षा
5. हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास	6. हिंदी साहित्य (पद्य और गद्य)

प्रायोगिक खंड :

1. **शिक्षण अभ्यास—हिंदी शिक्षण**
2. **शिक्षण अभ्यास—सामाजिक अध्ययन शिक्षण**

शिक्षण अभ्यास—हिंदी शिक्षण

कुल अंक—200

अंक विभाजन :

बाह्य प्रायोगिक परीक्षा	—	100
समालोचना—आंतरिक प्रयोगिक परीक्षा	—	30
पाठ योजना निर्माण + शिक्षण	—	50
सहायक सामग्री	—	10
साथी पाठ निरीक्षण	—	10
		200

कुल पाठ	—	60	
सूक्ष्म शिक्षण	—	20	10 पाठ साहित्य, 10 पाठ भाषा शिक्षण
विद्यालयीय शिक्षण	—	40	20 पाठ साहित्य, 20 पाठ भाषा शिक्षण

शिक्षण अभ्यास—सामाजिक अध्ययन शिक्षण

कुल अंक—200

अंक विभाजन :

बाह्य प्रायोगिक परीक्षा	—	100
समालोचना—आंतरिक प्रयोगिक परीक्षा	—	30
पाठ योजना निर्माण + शिक्षण	—	50
सहायक सामग्री	—	10
साथी पाठ निरीक्षण	—	10
		200

कुल पाठ	—	60	
सूक्ष्म शिक्षण	—	20	8 इतिहास, 8 भूगोल, 4 नागरिक शास्त्र
विद्यालयीय शिक्षण	—	40	16 इतिहास, 16 भूगोल, 8 नागरिक शास्त्र

4. त्रिवर्षीय हिंदी शिक्षक डिप्लोमा (नागालैंड) :

प्रथम वर्ष :

1. उच्चारण अभ्यास एवं बोलचाल की हिंदी
2. वाचन और लेखन
3. हिंदी में शब्द वर्ग और उनका प्रयोग
4. हिंदी पाठ्य–पुस्तक और साँचा अभ्यास
5. हिंदी पाठ्यपुस्तक
6. सामान्य अध्ययन

द्वितीय वर्ष :

1. हिंदी भाषा रचना एवं शब्द संवर्धन
2. प्रारम्भिक भाषा विज्ञान
3. व्यावहारिक हिंदी संरचना एवं अभ्यास
4. परिचयात्मक हिंदी साहित्य
5. हिंदी पाठ्यपुस्तक
6. सामान्य अध्ययन

तृतीय वर्ष :

(क) सैद्धांतिक खंड :

1. शिक्षा सिद्धांत एवं विद्यालय संगठन
2. शिक्षा मनोविज्ञान
3. भाषा शिक्षण की विधियाँ
4. हिंदी भाषा की संरचना और भाषा संवर्धन
5. हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास

(ख) प्रायोगिक खंड : हिंदी शिक्षण (कुल अंक 300)

(अ) बाह्य परीक्षा **अंक 150**

(ब) आंतरिक परीक्षा **अंक 150**

5. **विशेष गहन हिंदी शिक्षण डिप्लोमा (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम निर्माणाधीन) :**

(क) सैद्धांतिक खंड :

1. शिक्षा सिद्धांत एवं विद्यालय संगठन
2. शिक्षा मनोविज्ञान
3. भाषा शिक्षण
4. हिंदी भाषा की संरचना और भाषा संवर्धन
5. हिंदी साहित्य : गद्य और कविता

(ख) प्रायोगिक खंड : हिंदी शिक्षण (कुल अंक 300)

(अ) बाह्य परीक्षा **अंक 150**

(ब) आंतरिक परीक्षा **अंक 150**

6. **द्विवर्षीय हिंदी शिक्षक डिप्लोमा (मिज़ोरम) :**

प्रथम वर्ष :

1. भाषा अध्ययन एवं हिंदी का सामाजिक संदर्भ
2. हिंदी संरचना और अभ्यास
3. भाषा परिमार्जन
4. भाषा सिद्धांत एवं विद्यालय संगठन
5. हिंदी साहित्य—गद्य
6. हिंदी साहित्य—काव्य

द्वितीय वर्ष :

(क) सैद्धांतिक खंड :

1. सामान्य भाषा विज्ञान एवं हिंदी संरचना
2. सामान्य शिक्षा मनोविज्ञान
3. भाषा शिक्षण एवं पाठ नियोजन
4. भारतीय शिक्षा की स्थिति एवं समस्याएँ
5. हिंदी साहित्य—गद्य
6. हिंदी साहित्य—गद्य, काव्यांग एवं इतिहास
7. मौखिक

(ख) प्रायोगिक खंड : हिंदी शिक्षण (कुल अंक 300)

(अ) बाह्य परीक्षा **अंक 150**

(ब) आंतरिक परीक्षा **अंक 150**

केंद्रीय पुस्तकालय

राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना में पुस्तकों का महत्व अतुलनीय है। पुस्तकों के अध्ययन एवं मनन से मानसिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा शैक्षिक चेतना का उत्तरोत्तर विकास होता है। पुस्तकों के पठन–पाठन से सर्वसाधारण का ज्ञान बढ़ता है। पुस्तकालय वह ज्ञान मन्दिर है, जहाँ ज्ञान का प्रदीप निरंतर होता रहता है। पुस्तकें मानव जीवन का संचित ज्ञान हैं और पुस्तकालय ज्ञान का अनन्त असीम भण्डार है।

यहाँ एक समृद्ध पुस्तकालय है, जिसमें मुख्य रूप से भाषा–विज्ञान, साहित्य, शिक्षाशास्त्र, जनसंचार एवं पत्रकारिता आदि के अतिरिक्त समस्त विषयों की सूचना–सामग्री को संकलित किया गया है। पुस्तकालय में लगभग एक लाख दस हजार पुस्तकें/सूचना–सामग्री उपलब्ध है। जिसमें पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ ग्रंथ, सजिल्द शोध एवं सामान्य पत्रिकाएँ तथा लघु शोध प्रबन्ध सम्मिलित हैं।

पुस्तकालय में दो वाचनालयों (भारतेन्दु हरिश्चन्द्र कक्ष एवं महावीर प्रसाद द्विवेदी कक्ष) की व्यवस्था है तथा संदर्भ कक्ष में भी बैठकर पढ़ने की सुविधा प्रदान की गयी है।

प्रमुख नियम–(1) पुस्तकालय सभी कार्य दिवसों में कार्यालय के समयानुसार खुलेगा। (2) सभी छात्र/छात्राओं को पुस्तकालय का सदस्य बनने के लिए प्रवेश के समय कार्यालय में रु. 1000/– (रुपए एक हजार मात्र) कॉशनमनी के रूप में जमा करना होगा। इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यह राशि छात्र के संस्थान छोड़ने पर वापस की जाएगी। (3) सदस्य को केवल 05 (पाँच) कार्ड दिये जाएँगे। (4) पुस्तकें 15 दिन की अवधि के लिए दी जायेंगी। (5) पुस्तक की माँग को ध्यान में रखते हुए पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तक रखने की उक्त निर्धारित अवधि को कम कर सकते हैं, अर्थात् समय से पूर्व पुस्तक को मंगा सकते हैं और पुस्तक को पुनः निर्गमित नहीं भी किया जा सकता है। (6) संदर्भ ग्रंथ एवं शोध प्रबन्ध आदि पुस्तकालय से निर्गत नहीं किये जायेंगे। कोई ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ उपलब्ध पुस्तक के हैं या नहीं इसका निर्णय पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

क्षतिग्रस्त होने या खो जाने की दशा में–यदि पुस्तक का नवीनतम संस्करण (तीन वर्ष से अधिक पुराना न हो) उपलब्ध है, तो उसके मूल्य का दुगुना मूल्य पर, 10 वर्ष या उससे कम, 5 गुना, दस वर्ष या उससे अधिक समय व्यतीत होने पर मूल्य का दस गुना अधिभार लिया जाएगा। अन्तरराष्ट्रीय मूल्य की गणना विदेशी विनिमय के आधार पर होगी।

बहुखंडीय ग्रंथों के किसी एक खंड के खो जाने/विकृत करने की दशा में सदस्य से ग्रंथ के पूरे सैट का अधिभार सहित मूल्य लिया जाएगा। सदस्य सम्बंधित खंड भी पुस्तकालय को दे सकता है।

सत्र के अंत में सभी सदस्यों को पुस्तकालय की पुस्तकें एवं अन्य पाठ्य–सामग्री को वापस करने के बाद ही कॉशनमनी वापस की जाएगी।

छात्रावास

संस्थान में महिला एवं पुरुष छात्रावासों की अलग–अलग व्यवस्था है। पुरुष छात्रावास में पुरुष वार्डन है एवं महिला छात्रावास में महिला वार्डन नियुक्त है। सभी छात्रावासों में सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है साथ ही चिकित्सा, स्वास्थ्य, खेल–कूद एवं व्यायाम की व्यवस्था है। महिला एवं पुरुष छात्रावासों में अलग–अलग मेस संचालित होती है जिसमें शुद्ध और शाकाहारी भोजन बनाया जाता है।

– संस्थान में प्रवेश पाने वाले छात्र/छात्राओं को छात्रावास में रहना अनिवार्य होगा।

– प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रवेश के समय पूरे सत्र के लिए एक मुश्त रुपए 1500/– (रुपए एक हजार पाँच सौ मात्र) छात्रावास सुविधा शुल्क के रूप में एवं रु. 1000/– (रुपए एक हजार मात्र) छात्रावास तथा भोजनालय के लिए कॉशनमनी के रूप में जमा कराने होंगे।

– छात्रावासों में छात्र/छात्राओं को कमरे का आवंटन उपलब्धता के अनुसार वार्डन/केयर टेकर द्वारा किया जाएगा। एक ही राज्य के दो छात्रों या छात्राओं को एक कमरे में नहीं रखा जाएगा।

– छात्रावासों में मेस का संचालन वार्डन की देखरेख में छात्र/छात्राओं की समिति द्वारा सहकारी रूप में किया जाता है। छात्रावासों में रहने वाले छात्र/छात्राओं को छात्रावास की मेस में भोजन करना अनिवार्य होगा।

– छात्रावास एवं संस्थान परिसर में मादक पदार्थों (शराब, सिगरेट, बीड़ी, गुटका आदि) सेवन का पूर्णतः निषिद्ध है।

– छात्र/छात्राओं के परिजनों/अभिभावकों को छात्रावासों में जगह उपलब्ध होने पर वार्डन/कुलसचिव की अनुमति से निर्धारित शुल्क पर अधिकतम तीन दिन तक ठहरने की सुविधा होगी।

– छात्र/छात्राओं को प्रवेश के समय अपने साथ आवश्यक कपड़े (गर्म एवं सामान्य) तथा कम्बल आदि लाना चाहिए। दिसम्बर से जनवरी तक आगरा में काफी सर्दी होती है। छात्रावास से पलंग, गद्दा, तकिया एवं सर्दी के मौसम में रजाई उपलब्ध कराई जाती है।

– छात्र/छात्रा के किसी परिचित/अतिथि का बिना अनुमति छात्रावास में आना या रहना पूर्णतः निषिद्ध है। परिचितों/अतिथियों को अपना पूरा विवरण सुरक्षा कर्मियों अथवा छात्रावास कार्यालय में देना होगा।

– निर्धारित समय के बाद छात्र/छात्रा का छात्रावास से बाहर जाना निषिद्ध है। विशेष परिस्थितियों में वार्डन/कुलसचिव की अनुमति से छात्र/छात्राएँ बाहर जा सकते हैं।

नोट :

– किसी छात्र/छात्रा का चरित्र/व्यवहार असंतोषजनक पाए जाने अथवा छात्रावास के नियमों का पालन नहीं करने पर छात्रावास से निष्काषित किया जा सकता है।

– छात्रावास में उपलब्ध सुविधाओं एवं नियमों का विस्तृत विवरण प्रवेश के समय छात्रावास से उपलब्ध करवाया जाएगा।

प्रवेश

व्यवस्था :

अभ्यर्थियों के प्रवेश के लिए आवेदन पत्र आने के बाद प्रवेश संबंधी कार्रवाई प्रारंभ हो जाती है। प्रथम चरण में आवेदन पत्रों की जाँच की जाती है, दूसरे चरण में प्रवेश हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता के आधार पर योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की प्रवेश परीक्षा ली जाती है और मूल्यांकन के पश्चात् मेरिट के आधार पर भारत सरकार एवं संस्थान द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार उपलब्ध सीटों पर प्रवेश दिया जाता है। इन पाठ्यक्रमों में भारत के हिंदीतर भाषी राज्यों के मूल निवासी/सेवारत अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जाता है।

नियम :

1. विभिन्न पाठ्यक्रमों के आगामी सत्र के लिए संलग्न आवेदन पत्र एवं प्रवेश–पत्र 31 मार्च तक **कुलसचिव, केंद्रीय हिंदी संस्थान, हिंदी संस्थान मार्ग, आगरा–282005** के कार्यालय में पहुँच जाने चाहिए। इसके बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. आवेदन पत्र के साथ उत्तीर्ण परीक्षाओं के प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ भेजना आवश्यक है।
3. हिंदी शिक्षण निष्णात, हिंदी शिक्षण पारंगत एवं हिंदी शिक्षण प्रवीण पाठ्यक्रमों में सेवापूर्व (प्री–सर्विस) छात्रों का प्रवेश लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। प्रवेश परीक्षा जून में होगी। स्थान एवं तिथि की सूचना पत्र व्यवहार के पते पर बाद में दी जाएगी। प्रवेश–परीक्षा का प्रश्न–पत्र निम्नवत् होगा–

खंड (क)	: सामान्य ज्ञान परीक्षण	25 अंक
खंड (ख)	: शिक्षक अभिरुचि परीक्षण	25 अंक
खंड (ग)	: भाषा एवं साहित्य परीक्षण	25 अंक
खंड (घ)	: हिंदी भाषा दक्षता परीक्षण	25 अंक
कुल		**100 अंक**

(i) प्रवेश परीक्षा के तीन खण्डों के प्रश्नों में अधिकतम अंक प्राप्त करने के बावजूद भाषा **दक्षता परीक्षण खंड (घ)** में (08) अंक प्राप्त करने पर ही अभ्यर्थी को प्रवेश योग्य माना जाएगा।

(ii) प्रवेश परीक्षा के प्रश्न–पत्र वस्तुनिष्ठ (बहु विकल्प), लघु उत्तरीय एवं निबंधात्मक होंगे। प्रवेश परीक्षा के मॉडल पेपर के नमूने पृष्ठ 27 पर दिए गए हैं।

(iii) प्रश्नों के उत्तर केवल काली स्याही वाले बॉलपेन से ही चिह्नित करें।

(iv) प्रश्न का उत्तर सामने दिये गये बॉक्स ☐ में ही चिह्नित करें। व्हाइटनर (whitner) का किसी भी रूप में उपयोग प्रतिबंधित है। ऐसे प्रश्नों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

(v) परीक्षा भवन में मोबाइल, कैलकुलेटर, लेपटॉप आदि इलक्ट्रॉनिक यंत्र ले जाना प्रतिबंधित है।

(vi) उत्तर पुस्तिका में केवल अंतरराष्ट्रीय अंक ही लिखे जाएँ, यथा 1, 2, 3.....

(vii) प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार का कोई मार्ग व्यय एवं भत्ता देय नहीं होगा।

4. प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर ही विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा, जो संविधान प्रदत्त आरक्षण (अनु.जा. 15%, अनु.ज.जा. 7.5%, अ.पि.जा. 27%, शारीरिक रूप से अक्षम 3%) और राज्य संवर्गवार निर्धारित सीटों के अनुसार होगा। प्रवेश की राज्य संवर्ग आधारित व्यवस्था अग्रवत् होगी –

(क) पश्चिमी भारत संवर्ग – गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन–दीव एवं दादरा नगर हवेली।

(ख) पूर्वी भारत संवर्ग – उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल

(ग) पूर्वोत्तर भारत संवर्ग – असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम एवं सिक्किम

(घ) उत्तरी भारत संवर्ग – पंजाब, जम्मू–कश्मीर एवं लेह–लद्दाख

(ङ) दक्षिणी भारत संवर्ग – आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल अंडमान निकोबार एवं लक्ष्यद्वीप

उपर्युक्त संवर्ग आधारित व्यवस्था में सीटों का आवंटन राज्यवार होगा तथा प्रत्येक राज्य से तीन:तीन सीटों का आवंटन किया जाएगा। यदि किसी राज्य में उचित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उसी संवर्ग के अन्य राज्य के अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा।

5. पूर्वोत्तर एवं दक्षिण राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश में अलग से कट ऑफ प्रतिशत में 10 प्रतिशत कम करने की व्यवस्था है।

6. प्रवेश परीक्षा के बाद चुने गए सभी आवेदकों को प्रवेश के समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

(क) शैक्षिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र

(ख) जन्म–तिथि संबंधी प्रमाण पत्र

(ग) निवास प्रमाण पत्र

(घ) यदि सेवारत है तो वर्तमान सेवा–संस्था से प्राप्त निवृत्ति पत्र

(ङ) स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र

(च) दो प्रतिष्ठित सज्जनों से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र

7. राज्य सरकारों द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए अभ्यर्थियों को उनकी अर्हता, योग्यता के आधार पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश दिया जाएगा। उनकी प्रवेश परीक्षा नहीं होगी।

8. प्रवेश के समय प्रवेशार्थी को पुस्तकालय परिभाव्य धन (कॉशन मनी) रु० 1,000/– (रुपये एक हजार मात्र) एवं छात्रावास परिभाव्य धन (कॉशन मनी) रु० 1,000/– (रुपये एक हजार मात्र) जमा करना होगा। यह धन सत्र के अंत में लौटाया जाएगा। छात्रावास सुविधा शुल्क रु० 1,500/– जमा करना होगा।

9. प्रवेश की सूचना प्राप्त किए बिना यदि कोई आवेदक यहाँ आ जाता है तो यह उसकी निजी जिम्मेदारी होगी। ऐसे आवेदकों को छात्रावास में ठहरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

10. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं तथा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों की जाँच कराई जा सकती है। किसी भी प्रकार की सूचना के गलत तथा प्रमाण पत्र के अवैध पाए जाने पर उनका प्रवेश तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी की समस्त धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

11. गर्भवती महिलाओं को इन पूर्णसत्रीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अतः वे आवेदन न करें।

12. प्रवेश हेतु आवेदन करने के लिए विवरणिका, जिसके अंत में आवेदन पत्र दिए गए होते हैं, संस्थान मुख्यालय से मंगाई जा सकती है तथा संस्थान के वेबसाइट से भी डाउनलोड की जा सकती है।

13. प्रशिक्षणार्थियों को सत्र की अवधि में किसी दूसरी डिग्री के लिए परीक्षा देने एवं सेवा/नौकरी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि सत्र की अवधि में कोई छात्र/छात्रा ऐसा करते हुए पाया गया/पायी गयी, तो उसे संस्थान से निष्कासित कर परीक्षा देने से भी वंचित कर दिया जाएगा। छात्रवृत्ति भी वसूल कर ली जाएगी।

सामान्य सूचना

1. संस्थान के मुख्यालय एवं केंद्रों पर प्रवेश प्राप्त छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति के रूप में रु० 3,000/– प्रतिमाह का भुगतान किया जाता है। नियमानुसार छात्रवृत्ति कटौती का भी प्रावधान है। राज्य सरकारों द्वारा संचालित संबद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश प्राप्त छात्र–छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की कोई व्यवस्था नहीं है।
2. अध्यापक शिक्षा विभाग की सह पाठ्यक्रमीय क्रियाओं के संचालन हेतु छात्र–छात्राओं की 'साहित्य सभा' का गठन किया जाता है। हिंदी शिक्षण निष्णात से–सचिव, हिंदी शिक्षण पारंगत से–उपसचिव एवं प्रत्येक कक्षा से एक छात्र एवं एक छात्रा को कक्षा प्रतिनिधि चुना जाएगा। ये सभी विभागाध्यक्ष, अध्यापक शिक्षा विभाग के निर्देशन में कार्य करेंगे।
3. संस्थान के अध्यापक शिक्षा विभाग के प्रशिक्षणार्थियों की पत्रिका **'समन्वय'** हर वर्ष प्रकाशित होती है, जिसमें उनके स्वरचित लेख, कविता, कहानी इत्यादि प्रकाशित किए जाते हैं।
4. संपूर्ण सत्रावधि में केवल (12 दिनों का शीतावकाश) दिया जाएगा। अवकाश की वास्तविक तिथियों की घोषणा प्रत्येक वर्ष के कैलेण्डर के आधार पर सत्र के प्रारंभ में की जाएगी।
5. कोई भी प्रशिक्षणार्थी विभागाध्यक्ष, अध्यापक शिक्षा विभाग की अनुमति प्राप्त किए बिना नगर के बाहर नहीं जा सकेगा। इसके लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर अनुमति लेनी होगी।
6. संस्थान में होने वाले सह–पाठ्यक्रमीय कार्यक्रमों, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं, क्रीड़ा प्रतियोगिताओं के आयोजनों, गोष्ठियों और समारोहों आदि में सभी प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। अनुपस्थित प्रशिक्षणार्थी अर्थदंड के भागी होंगे।
7. वार्षिक परीक्षा के पूर्व अधिकतम 10 दिन तक तैयारी के लिए अवकाश दिया जाएगा। उस अवकाश काल में कोई छात्र नगर से बाहर नहीं जा सकेगा।
8. सत्र की अवधि में दो बार आंतरिक परीक्षा ली जाएगी, जो अक्टूबर एवं मार्च माह में संपन्न होंगी। इन परीक्षाओं में प्रत्येक छात्र का सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।
9. यदि कोई प्रशिक्षणार्थी सत्र के बीच में पाठ्यक्रम छोड़कर जाता है, तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसकी देय धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
10. कक्षाओं/परीक्षा में मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक यंत्र लाना प्रतिबंधित है। यदि ये वस्तुएँ किसी के पास पायी जाती है, तो उसी समय जब्त कर ली जायेंगी और सत्रांत के बाद ही वापस की जाएँगी।
11. संस्थान परिसर, छात्रावास एवं कक्षाओं में किसी भी प्रकार का अमर्यादित आचरण (आपसी कलह, दुर्व्यवहार, छेड़छाड़ आदि) अनुशासनहीनता मानी जाएगी। यदि किसी को ऐसा करते हुए पाया गया, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई/निष्कासन भी संभव है। इस दशा में छात्रवृत्ति भी वापस करनी होगी।

12. निर्धारित पोशाक नियमानुसार अनिवार्य है :

(क) महिलाओं के लिए स्काई ब्लू की 04 इंच बॉर्डर वाली सफेद साड़ी, स्काई ब्लू ब्लाउज अथवा सफेद सलवार, नीले रंग का कुर्ता और सफेद चुन्नी एवं नेवी ब्लू स्वेटर तथा काले रंग की जूती/सैंडिल व सफेद रंग के मोजे।

(ख) पुरुषों के लिए–स्काई ब्लू का पैंट, सफेद शर्ट एवं नेवी ब्लू स्वेटर या कोट तथा काले रंग के जूते/सैंडिल व सफेद मोजे।

13. कक्षाओं का समय प्रति सप्ताह (सोमवार से शुक्रवार तक) निम्नलिखित होगा :

(क) कक्षाओं में आगमन एवं स्थान ग्रहण प्रातः 09.50 तक

(ख) वाणी वंदना, संस्थान गीत, राष्ट्रगीत एवं राष्ट्र गान तथा आज के विचार प्रातः 9.50 से 10.10 तक

(ग) कक्षाएँ प्रातः 10.10 से सायं 5.00 बजे तक

(घ) प्रतिदिन मध्यावकाश 01.30 बजे से 2.30 बजे तक रहेगा।

(ङ) पुस्तकालय के लिए निर्धारित अंतर में पुस्तकालय जाना और भाषा प्रयोगशाला के निर्धारित अंतर में भाषा प्रयोगशाला जाना अनिवार्य है।

14. स्काउट एवं गाइड का प्रशिक्षण प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के लिए अनिवार्य है। इसका आयोजन मुख्यालय आगरा के प्रशिक्षणार्थियों के लिए अध्यापक शिक्षा विभाग और केंद्रों/महाविद्यालयों के छात्रों के लिए केंद्र/महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

15. स्थानीय एवं बाह्य शैक्षिक पर्यटन में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी की सहभागिता अनिवार्य है। यह पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग है। यह पर्यटन शैक्षिक एवं साहित्यिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा भौगोलिक महत्व के स्थानों के लिए अध्यापक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। पर्यटन में भाग लेना एवं डायरी लिखना अनिवार्य होगा। यही व्यवस्था केंद्र/संबंद्ध महाविद्यालयों में भी लागू होगी।

परीक्षा

नियम :

1. संस्थान की परीक्षाएँ प्रतिवर्ष निर्धारित तिथियों पर आगरा में तथा आवश्यकतानुसार निर्धारित अन्य केंद्रों पर होंगी।
2. प्रशिक्षणार्थियों को वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परीक्षा आवेदन पत्र भरकर 30 नवंबर तक परीक्षा विभाग में जमा कराना होगा। परीक्षा आवेदन पत्र के साथ 600 रु० (रु० 100/– नामांकन शुल्क और रु० 500/– परीक्षा शुल्क) सभी संबंद्ध महाविद्यालयों के लिए यह शुल्क 350 रु० (रु० 100/– नामांकन शुल्क और रु० 250/– परीक्षा शुल्क) देय होगा। इसका बैंक ड्राफ्ट, **"सचिव, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा"** के नाम से बनवा कर जमा करें अथवा लेखा विभाग में नकद जमा कर रसीद प्राप्त करें। रसीद को परीक्षा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
3. परीक्षा में वे ही छात्र शामिल हो पायेंगे जिनकी उपस्थिति कुल कार्य दिवसों की 80 प्रतिशत होगी।
4. सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक परीक्षा के लिए पारंगत और प्रवीण, त्रिवर्षीय हिंदी शिक्षक डिप्लोमा में पृथक–पृथक श्रेणियाँ प्रदान की जाती हैं। सभी परीक्षाओं में उत्तीर्णता की निम्नलिखित श्रेणियाँ होंगी :

   प्रथम श्रेणी–60 प्रतिशत और अधिक

   द्वितीय श्रेणी–48 प्रतिशत और अधिक

   तृतीय श्रेणी–40 प्रतिशत और अधिक

   यदि कोई प्रशिक्षणार्थी पूर्ण योग में 75 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करेगा तो उसके प्रमाण पत्र में **"प्रथम श्रेणी विशेष योग्यता सहित"** का उल्लेख किया जाएगा।
5. उत्तीर्णता के लिए समस्त प्रश्न–पत्रों में न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करने के साथ–साथ कुल योग का 40 प्रतिशत लाना अनिवार्य है।
6. वर्ष 2014–15 से पुनर्मूल्यांकन की सुविधा प्रारम्भ कर दी गई है। परीक्षा परिणाम की घोषणा होने की तिथि से एक माह के अंदर पुनर्मूल्यांकन कराया जा सकता है। इसके लिए प्रति प्रश्न–पत्र रु० 500/– शुल्क के रूप में जमा करवाने होंगे। यह सुविधा अधिकतम दो प्रश्न–पत्रों के लिए ही होगी।
7. **पूरक परीक्षा** पद्धति लागू है। इसमें मुख्य परीक्षा के अलावा पूर्व की भांति दो अवसर अभ्यर्थी को वार्षिक परीक्षा के साथ ही प्रदान किए जाएँगे। पूरक परीक्षा के लिए शुल्क एक प्रश्न–पत्र के लिए रु. 200/– तथा एक से अधिक सभी अनुत्तीर्ण प्रश्न–पत्रों के लिए कुल रु. 500/– मात्र देय होगा।
8. परीक्षा आवेदन पत्र खोने/खराब होने की स्थिति में दूसरा आवेदन पत्र रु० 100/– जमा करने के पश्चात ही मिल सकेगा।
9. पूरक परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों को कुलसचिव, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा को प्रार्थना पत्र भेजकर परीक्षा आवेदन पत्र मँगाना होगा। परीक्षा आवेदन पत्र मँगाने और निर्धारित तिथि तक भरकर भेजने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। आवेदन पत्र मँगाने के लिए भेजे जाने वाले प्रार्थना पत्र के साथ अपना नाम, पता लिखा 23 × 15 से. मी. का लिफाफा (जिस पर रु० 50/– का डाक टिकट लगा हो) भेजना होगा।
10. प्रवेश एवं वार्षिक परीक्षा संबंधी अभिलेख (रिकार्ड) तीन वर्ष तक ही सुरक्षित रखे जाते हैं, तदनंतर उन्हें नष्ट कर दिया जाता है।

11. वार्षिक परीक्षा का आयोजन परीक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। आंतरिक परीक्षाएँ विभागीय एवं महाविद्यालयीय स्तर पर आयोजित की जाएँगी।

12. वार्षिक परीक्षा परिणाम संबंधी त्रुटियों का निराकरण परिणाम घोषित होने के तीन माह के अंदर किया जाएगा।

13. यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा आवेदन पत्र भरने के बाद चिकित्सकीय कारणों से परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता और तत्काल इसकी सूचना संस्थान को देता है, तो उसे अगली परीक्षा के लिए नए सिरे से आवेदन पत्र भरने की अनुमति दी जाएगी। यह अनुमति बाद के वर्षों के लिए लागू नहीं होगी। मात्र चिकित्सकीय आधार पर केवल एक ही अवसर दिया जाएगा।

14. कोई छात्र परीक्षा में नकल करता पकड़ा/पाया जाता है तो अनुशासन समिति द्वारा कार्यवाही की जायेगी। किसी भी न्यायिक मामले में केवल आगरा शहर मान्य होगा।

चिकित्सा

व्यवस्था :

छात्रावास में रहने वाले छात्र–छात्राओं के लिए संस्थान की ओर से चिकित्सा की व्यवस्था है।

नियम :

1. संस्थान के चिकित्सक द्वारा ही प्रशिक्षणार्थियों को अपनी चिकित्सा करानी होगी। सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर बाहर के डॉक्टर से उसी दशा में चिकित्सा करा सकते हैं जबकि (1) संस्थान के डॉक्टर अवकाश पर हों या (2) ऐसे समय जब उन्हें बुलाना संभव न हो, अधिकारी अपने विवेक से बीमार छात्र को सरकारी अस्पताल या संस्थान द्वारा अधिकृत अस्पताल से चिकित्सा करा सकते हैं। इस प्रकार की चिकित्सा एक या दो दिन के लिए या उस अवधि के लिए होगी, जब तक संस्थान के डॉक्टर अवकाश पर होंगे। इस चिकित्सा का व्यय संस्थान अपने नियमों के अनुसार वहन करेगा।

2. यदि कोई छात्र/छात्रा अपनी इच्छा से, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी बाहरी डॉक्टर से चिकित्सा कराएँगे तो उसका सारा व्यय उन्हें स्वयं वहन करना होगा। संस्थान ऐसी किसी भी चिकित्सा की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

3. यह सुविधा केवल नियमित विद्यार्थियों के लिए लागू है।

4. केवल डॉक्टर के प्रमाण पत्र के आधार पर ही चिकित्सा–अवकाश स्वीकृत करने पर विचार किया जाएगा।

5. प्रवेश के बाद दीर्घकालिक बीमारियों की चिकित्सीय प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। दाँतों की किसी भी प्रकार की शिकायत/चिकित्सा का व्यय भार संस्थान वहन नहीं करेगा।

आवश्यक सूचनाएँ

1. आवेदन पत्र में दिया गया सारा विवरण सही और प्रमाण पत्रों पर आधारित होना चाहिए।

2. आवेदन पत्र के साथ संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताओं की उत्तीर्णता के मूल प्रमाण पत्र, अस्थाई प्रमाण पत्र (Provisional Certificate) और अंतिम वर्ष की अंकसूची (संपूर्ण) की **अभिप्रमाणित छाया प्रतियाँ अवश्य** संलग्न करें।

3. आवेदन पत्र के साथ माँगे गए प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति (जीरोक्स) भी संलग्न की जाएँ। आवेदन पत्र के साथ उन्हीं प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न करें, जो माँगे गये हैं। उन्हें किसी राजपत्रित (गजेटैड) अधिकारी, मान्यता प्राप्त महाविद्यालय, हाई स्कूल/हायर सेकेंडरी विद्यालय के प्रधानाध्यापक, लोकसभा अथवा विधान सभा के किसी सदस्य अथवा किसी अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा अभिप्रमाणित कराएँ। आवेदक को आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर भेजना अनिवार्य है। आवेदन पत्र पर यथास्थान अपनी फोटो लगाएँ जो अनिवार्यतः राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित हो।

   आवेदन पत्र पर फोटो न होने पर उसे निरस्त कर दिया जाएगा।

   पिन या स्टेपल से नत्थी फोटो वाले आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएँगे।

4. आवेदन पत्र के साथ अपना एक अतिरिक्त फोटो नत्थी कर दें, जिसे संस्थान द्वारा अभिप्रमाणित किया जाएगा और आपके 'प्रवेश पत्र' पर लगाया जाएगा। प्रवेश–पत्र में माँगी गई जानकारी साफ–साफ अक्षरों में पूर्ण भरकर भेजें।

5. आवेदन पत्र पर अपनी नवीनतम फोटो (छह माह से अधिक पुरानी नहीं) लगाना आवश्यक है। आवेदन पत्र व प्रवेश–पत्र पर लगी फोटो एक समान होनी चाहिए अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

6. आवदेन–पत्र के साथ पोस्टकार्ड नत्थी किया जाए, जिस पर आवेदक का पता साफ–साफ लिखा हो, जो कि आवेदन पत्र की प्राप्ति की सूचना देते हुए उसे वापस भेजा जाएगा। प्रवेश के संबंध में जब भी पत्र व्यवहार किया जाए, उस कार्ड पर दी गई पंजीकरण संख्या और तारीख लिखना आवश्यक है, अन्यथा पत्रोत्तर में देरी हो सकती है। पोस्ट कार्ड के पते में पिन नंबर भी लिखें।

7. आवेदन पत्र के साथ भेजे गए सभी प्रमाण पत्रों की एक सूची संलग्न करना आवश्यक है।

8. **आवेदन पत्र पंजीकृत (रजिस्टर्ड) या स्पीड पोस्ट डाक द्वारा : कुलसचिव, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा–282005 के नाम पर भेजा जाए।**

9. **निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च तक प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर ही प्रवेश देने के संबंध में विचार किया जाएगा।**

प्रवेश परीक्षा

के प्रश्न–पत्र का प्रारूप (मॉडल पेपर)

हिंदी शिक्षण निष्णात (समकक्ष एम.एड.)

हिंदी शिक्षण पारंगत (समकक्ष बी.एड.)

हिंदी शिक्षण प्रवीण (समकक्ष टी.टी.सी./डिप्लोमा स्तरीय)

(नोट : नीचे दिया गया नमूना हिंदी शिक्षण पारंगत के स्तर का है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में तीनों खंडों के प्रश्नों का स्तर हिंदी शिक्षण निष्णात में थोड़ा उच्च होगा और हिंदी शिक्षण प्रवीण में थोड़ा निम्न होगा।)

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक

समय – 3 घंटे **पूर्णांक : 100**

निर्देश : प्रश्नपत्र चार खंडों में है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न के चार संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिनमें से एक ही उत्तर सही है। सही उत्तर के सामने सही (√) का निशान बनाएँ –

खंड–क (सामान्य ज्ञान)

अंक–25 × 1 = 25 अंक

1. शिवाजी की माता का क्या नाम था ?
   (अ) अहिल्याबाई ☐ (ब) जीजाबाई ☐ (स) दुर्गाबाई ☐ (द) अवन्तीबाई ☐
2. औरंगजेब के पिता का क्या नाम था ?
   (अ) हुमायूँ ☐ (ब) अकबर ☐ (स) शाहजहाँ ☐ (द) जहाँगीर ☐
3. 'सूर्यमंदिर' कहाँ स्थित है ?
   (अ) पुरी ☐ (ब) कटक ☐ (स) कोणार्क ☐ (द) संभलपुर ☐
4. असम की राजधानी कहाँ स्थित है ?
   (अ) जोरहाट ☐ (ब) गुवाहाटी ☐ (स) शिलांग ☐ (द) दिसपुर ☐
5. साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है ?
   (अ) लॉन टेनिस ☐ (ब) टेबल टेनिस ☐ (स) बैडमिंटन ☐ (द) बॉस्केटबॉल ☐

खंड–ख (शिक्षक अभिरुचि)

अंक–25 × 1 = 25 अंक

1. शिक्षा के गिरते स्तर का कारण :
   (अ) शैक्षिक प्रशासन ☐ (ब) पाठ्यक्रम ☐ (स) छात्र ☐ (द) शिक्षक ☐
2. शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए ?
   (अ) मित्र जैसा ☐ (ब) प्रशासक जैसा ☐ (स) उपदेशक जैसा ☐ (द) माता–पिता जैसा ☐
3. कक्षा का मॉनीटर कैसा होना चाहिए ?
   (अ) उदंड ☐ (ब) हृष्ट–पुष्ट ☐ (स) बुद्धिमान ☐ (द) नेतृत्व क्षमता वाला ☐

4. अच्छे शिक्षक के लिए आवश्यक है :

(अ) सख्त होना ☐ (ब) क्रोधी होना ☐ (स) धैर्यवान होना ☐ (द) मार्गदर्शक होना ☐

5. सफल शिक्षक का गुण :

(अ) अच्छी मित्रता ☐ (ब) अच्छी अभिव्यक्ति ☐ (स) अच्छा प्रशासन ☐ (द) अच्छी व्यवस्था ☐

खंड–ग (साहित्य एवं भाषा अभिरुचि)

अंक–25 × 1 = 25 अंक

1. प्रेमचंद लिखित 'मानसरोवर' किस विधा का संग्रह है ?

(अ) नाटक ☐ (ब) कहानी ☐ (स) उपन्यास ☐ (द) निबंध ☐

2. 'मेघदूत' के रचनाकार हैं :

(अ) भवभूति ☐ (ब) भास ☐ (स) कालिदास ☐ (द) बाणभट्ट ☐

3. सही वर्तनी है :

(अ) आशीरवाद ☐ (ब) आशिर्वाद ☐ (स) आशीर्वाद ☐ (द) आर्शीवाद ☐

4. जयशंकर प्रसाद जी की रचना है :

(अ) निशा निमंत्रण ☐ (ब) जूही की कली ☐ (स) आँसू ☐ (द) पल्लव ☐

5. 'ऑथेलो' नाटक के रचनाकार हैं :

(अ) जॉर्ज वर्नाडशाँ ☐ (ब) शेक्सपीयर ☐ (स) टेनीसन ☐ (द) ऑस्कर वाइल्ड ☐

खंड–घ (हिंदी भाषा दक्षता)

25 अंक

1. निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए –

आज की भारतीय नारी को अच्छी गृहणी के रूप में न देख पाना पुरुषों की एकांकी दृष्टि का परिणाम है। विवाह के बाद उसकी बदली हुई मनःस्थिति तथा परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उसकी रुचियों और भावनाओं की उपेक्षा की जाती है। पुरुष यदि अपने सुख के साथ पत्नी के सुख का भी ध्यान रखे, तो वह अच्छी गृहणी हो सकती है। पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य है कि वे एक–दूसरे के कार्य में हाथ बटाएँ और एक–दूसरे की भावनाओं, इच्छाओं और रुचियों का ध्यान रखें। आखिर नारी भी तो मनुष्य है। वह भी परिवार और समाज में सम्मान पाना चाहती है। यदि नारी त्याग की मूर्ति है, तो पुरुष को भी बलिदानी होना चाहिए।

प्रश्न (क) उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। 2

.....

प्रश्न (ख) रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। 3+3=6

.....

.....

.....

.....

प्रश्न (ग) पति और पत्नी का क्या कर्तव्य है? 2

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. किसी एक उक्ति का भाव पल्लवन कीजिए– 2

जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान

अथवा

कर्म ही पूजा है।

.....

.....

.....

.....

3. निम्नलिखित गद्यांश का संक्षेपण कीजिए : 3

स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों के ऊपर है, क्योंकि आज जो विद्यार्थी हैं, वे ही कल स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे। भारत की उन्नति और उत्थान उन्हीं की उन्नति और उत्थान पर निर्भर करता है। अतः विद्यार्थियों को अपने भावी जीवन का निर्माण बड़ी सतर्कता और सावधानी से करना चाहिए। उन्हें प्रत्येक क्षण अपने राष्ट्र, अपने समाजधर्म और अपनी संस्कृति को अपनी आँखों के सामने रखना चाहिए, ताकि उनके कार्यों से राष्ट्र को बल प्राप्त हो सके। जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोंण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते, वे राष्ट्र और समाज के लिए भार स्वरूप होते हैं।

संक्षेपण : .....

.....

.....

.....

.....

4. निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए : 10

(क) प्रदूषण से पर्यावरण की रक्षा (ख) महँगाई की समस्या

(ग) इंटरनेट से लाभ और हानि (घ) भारतीय संस्कृति

मान्यता–विवरण

No. F.3-28/2003-DI (L)

GOVERNMENT OF INDIA

Ministry of Human Resource Development

Department of Secondary & Higher Education

(Language Division)

.....New Delhi, 25th November, 2003

Subject : Recognition of the examination of Kendriya Hindi Sansthan, Agra for purpose of employment of Hindi Teachers.

1. The undersigned is directed to say that for teaching Hindi on Scientific lines, producing efficient Hindi Teachers and providing facilities for research in Hindi Teaching Government of India established under the Ministry of Education (now Ministry of Human Resource Development) a fully funded Autonomous Organisation namely the "Kendriya Hindi Shikshan Mandal at Agra, in the year 1960. For achieveing the aforesaid objectives, the Mandal runs the 'Kendriya Hindi Sansthan' With its regional Centres in Delhi. Mysore, Hyderabad, Guwahati and Shillong.

2. The question of recognition of the Teachers training courses viz. Hindi Shikshan Praveen, Hindi Shikshan Parangat and Hindi Shikshan Nishnat run by the K.H.S.M., Agra for the purpose of employment under the Central Government was considered in the Ministry some years ago. In the year 1967. Government of India decided in consultation with the U.P.S.C. and the Ministry of Home Affairs to recognize the following courses of study of the K.H.S.M., Agra as equivalent to those noted against each for the purpose of employment under the Central Government vide Ministry of Education, New Delhi OM No. 24-6/64-H.I. Dated 12th April, 1967, (Copy enclosed) :

	Name of the Course	**Equivalent to**
1.	Hindi Shikshan Praveen	Teacher's Training Certificate/Diploma.
2.	Hindi Shikshan Parangat	B.T./B.Ed. Degree of an Indian University
3.	Hindi Shikshan Nishnat	M.Ed. Degree of an Indian University.

3. The Recognition of the examinations as mentioned will however, was limited to specific purpose of teaching Hindi in High School/Higher Secondary School/Colleges and training Institution etc.

4. In pursuance of Ministry's this letter, State/U.T. Administrations also issued necessary orders for recognition of aforesaid courses in their respectively States/U.Ts. The recognition of aforesaid courses of the K.H.S.M.,-Agra Still continues. States are again requested to take necessary action in this regard in respect of their State/UT at the earliest and inform this Ministry there about.

The receipt of this may kindly be acknowledged at the earliest.

(A. R. HAREA)
UNDER SECRETARY OF THE GOVT. OF INDIA.

To

The Secretary,

All Ministeries/Deptts.

Copy forwarded for necessary action to :

1. The Principal Secretaries/Secretary, (Education) All States/U.T.
2. Ministry of Home Affairs, New Delhi with reference to this correspondence resting with U.O. No. 1149/67-Estt. (D), Dated the 24th February, 1967.
3. The Secretary, Union Public Service Commission, New Delhi with reference to this letter No. F. 1/7/66 RR, Dated the 24th January, 1967.
4. The Secretary, Staff Selection Commission, C.G.O. Complex, Lodi Road, New Delhi.
5. The Secretary, Kendriya Hindi Shikshan Mandal, Gandhi Nagar, Agra.
6. All attached and subordinate Office and Sections of the Ministry.
7. All Autonomous Organisations under Ministry of Human Resource Development.

(A. R. HAREA)

UNDER SECRETARY OF THE GOVT. OF INDIA

वाणी वंदना

वर दे, वीणावादिनि वर दे !

प्रिय स्वतंत्र-रव, अमृत-मंत्र नव,

भारत में भर दे !

काट अंध उर के बंधन-स्तर,

बहा जननि ज्योतिर्मय निर्झर,

कलुष-भेद-तम हर, प्रकाश भर,

जगमग जग कर दे !

नव गति, नव लय, ताल-छंद नव,

नवल कंठ, नव जलद-मंद्र रव,

नव नभ के नव विहग-वृंद को

नव पर, नव स्वर दे !

वर दे, वीणावादिनि वर दे !

वर दे ! वर दे !! वर दे !!!

—पं. सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'

संस्थान गीत

भारत जननी एक हृदय हो,
भारत जननी एक हृदय हो,
एक राष्ट्रभाषा हिंदी में,
कोटि-कोटि जनता की जय हो।
भारत जननी एक हृदय हो॥
स्नेह-सिक्त मानस की वाणी,
गूँजे गिरा यही कल्याणी,
चिर उदार भारत की संस्कृति,
सदा अभय हो, सदा अजय हो।
भारत जननी एक हृदय हो,
मिटे विषमता सरसे समता,
रहे मूल में मीठी ममता,
तमस कालिमा को विदीर्ण कर,
जन-जन का पथ ज्योतिर्मय हो।
भारत जननी एक हृदय हो,
जाति-धर्म-भाषा विभिन्न स्वर,
एक राग हिंदी में सजकर,
झंकृत करें हृदय तंत्री को,
स्नेह-भाव प्राणों में लय हो।
भारत जननी एक हृदय हो॥
भारत जननी एक हृदय हो !!!

—पं. रामेश्वर दयाल दुबे

राष्ट्रगीत

वंदे मातरम्, वंदे मातरम् !
सुजलाम्, सुफलाम्, मलयज शीतलाम्
शस्यश्यामलाम् मातरम् !
वंदे मातरम् !
शुभ्रज्योत्सनाम् पुलकितयामिनीम्,
फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीम्
सुहासिनीम् सुमधुर भाषिणीम्
सुखदाम् वरदाम् मातरम् !
वंदे मातरम्, वंदे मातरम् !

—बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय

राष्ट्रगान

जन-गण-मन अधिनायक जय हे।
भारत भाग्य विधाता॥
पंजाब, सिन्धु, गुजरात, मराठा।
द्राविड़, उत्कल, बंग॥
विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा।
उच्छल जलधि-तरंग॥
जब शुभ नामे जागे।
तव शुभ आशिष मागे;
गाहे तव जय गाथा!
जन-गण मंगलदायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे॥

—रवीन्द्रनाथ टैगोर

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा

सत्र : 2016–17

(प्रवेश आवेदन पत्र)

(Admission Form must be filled in both Hindi and English)

पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाएँ जो स्वयं प्रमाणित हो।
Paste Passport size Photograph Self Attested

प्रवेश आवेदन पत्र सं. .....

ADMISSION FORM.....

पंजीकरण संख्या .....

Regd. No. .....

प्रवेश संख्या.....

Admis. No. .....

1. पाठ्यक्रम जिसमें प्रवेश चाहते हैं
   Name of the course in which admission is sought

2. नाम श्री/कु०/श्रीमती
   Name of applicant (In Block Letter's) Mr./Mrs./Km.

3. माता का नाम
   Mother's Name

4. पिता/पति का नाम
   Father/Husband's Name

5. जन्म तिथि (ईस्वी सन् में) | जन्म स्थान | जिला | प्रदेश
   Date of Birth | (i) Place of Birth | (ii) District | (iii) State

6. (अ) मातृभाषा | (ब) राष्ट्रीयता | (स) धर्म
   (i) Mother tongue | (ii) Nationality | (iii) Religion

7. वर्ग–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग
   Category—Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC/General

8. विकलांगता–(यदि अभ्यर्थी विकलांग है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें)
   If the candidate is physically Handicapped, He/she must attach a certificate issued by a compitent authority.

9. (अ) स्त्री/पुरुष | (ब) विवाहित/अविवाहित | (स) ग्रामीण/शहरी क्षेत्र
   (i) Female/Male | (ii) Married/Unmarried | (iv) Rural/Urban

10. सेवापूर्व/सेवारत (यदि अभ्यर्थी सेवारत है, तो जिला या ब्लाक स्तर के शिक्षाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें)
    If the Candidate is in service, he must attach No objection Certificate from District or Block Level Education Officer

11. स्थायी पता
Permanent Address
.....
.....
.....
..... पिन (Pin) .....
मोबाइल नं. (Mob.) .....
थाना (Police Station) .....

पत्र व्यवहार का पता
Correspondence Address
.....
.....
.....
.....पिन (Pin) .....
E-mail ID : .....
थाना (Police Station) .....

12.	शैक्षणिक योग्यताएँ Educational Qualification	उत्तीर्णता का वर्ष Year of Passing	संस्था का नाम (बोर्ड/विश्वविद्यालय) Name of Institution (Board/University)	श्रेणी Division	पूर्णांक Marks Secured	प्राप्तांक Total Marks	प्राप्तांक प्रतिशत Marks obtained Percentage	परीक्षा विषय Subjects Offered
(क)	मैट्रिक/एस.एस.एल.सी. Matric/S.S.L.C.							
(ख)	पी.यू.सी./इंटरमीडिएट P.U.C./Intermediate							
(ग)	बी.ए. B.A.							
(घ)	बी.एड./एल.टी./पारंगत B.Ed./L.T./Parangat							
(च)	एम.ए. M.A.							
(छ)	अन्य प्रशिक्षण Other's Training							
(ज)	हिंदी की समकक्ष योग्यता Hindi Qualification							

घोषणा—उपरोक्त सूचनाएँ मेरे ज्ञान और विश्वास के आधार पर सही है। यदि कोई तथ्य असत्य पाया जाता है तो मेरा चयन रद्द किया जा सकता है।

The above information provided by me is correct to my knowledge and belief. If any information being found false, my selection is liable to be cancelled.

.....

दिनांक :
Date :

आवेदक के पूरे हस्ताक्षर
Signature of the Candidate

(अ) **आवेदन पत्र के साथ संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताओं की उत्तीर्णता के प्रमाण पत्र, अस्थाई प्रमाण पत्र (Provisional Certificate) और अंक सूचियों की स्व–प्रमाणित छाया–प्रतियाँ ही संलग्न करें।**

(i) Certified copies of certificates and marksheets must be attached to this application which are prescribed for the course.

(ब) **प्रवेश के समय आवेदक को सभी उत्तीर्ण परीक्षाओं के और अन्य आवश्यक मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।**

(ii) The applicant must present all the original certificates at the time of admission (Education and others).

(स) **सेवारत अभ्यर्थियों को संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा दिए गए अनुभव प्रमाण पत्र तथा निवृत्ति प्रमाण पत्र प्रवेश के समय लाना आवश्यक है।**

(iii) In Service candidates Experience Certificate and relieving certificate from the Principal of the Institution, where serving, are to be produced at the time of admission.

(द) **अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।**

(iv) Candidates belonging to the SC, ST & OBC Category must attach Certified true copy of the Caste Certificate.

विशेष : संस्थान वेबसाइट से डाउनलोड किए गए फार्म के साथ रु० 200/– (रुपये दो सौ) मात्र का बैंक ड्राफ्ट, ''**सचिव, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा**'' के नाम बनवाकर संलग्न करना अनिवार्य है। ड्राफ्ट संलग्न न करने की स्थिति में आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

Note : Application Forms downloaded from the Sansthan's website must contain a Bank Draft of Rs. 200/- (Rs. Two Hundred) only, in favour of **'Secretary Kendriya Hindi Shikshan Mandal, Agra'**, Application forms found without the bank draft will not be considered anyway.

कार्यालय के प्रयोगार्थ

For office Use only

सभी आवश्यक प्रमाण पत्र आदि देख लिए गए हैं। इन्हें.....
पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकता है।

All essential certificates etc. have been examined. He/she can be admitted to .....

तारीख.....	प्रवेश सहायक	प्रशासनिक अधिकारी (प्रवेश परीक्षा–अनुभाग)	कुलसचिव
Date.....	Assistant Admission	Administrative officer (Admission and Exam.)	Registrar

---

प्रवेश दिया जाता है।

Admitted

तारीख..... निदेशक

Date Director

बैंक ड्राफ्ट का विवरण : ड्राफ्ट संख्या ..... धनराशि रु॰.....
दिनांक ..... बैंक का नाम .....

Details of Bank Draft : Draft No..... Amount (Rs.).....

Dated..... Name of Bank.....

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
हिंदी संस्थान मार्ग, आगरा–282005 (उ० प्र०)
(हिंदी शिक्षण निष्णात/ पारंगत / प्रवीण प्रवेश परीक्षा)

प्रवेश–पत्र

सत्र : 2016–17

अभ्यर्थी अपना फोटो चिपकाएँ स्टेपिल न करें

1. प्रवेश परीक्षा केंद्र.....
2. अभ्यर्थी का नाम (हिंदी में) .....
   (अंग्रेजी में) बडे अक्षरों में.....
3. माता का नाम.....
4. पिता / पति का नाम.....
5. अभ्यर्थी का पत्र–व्यवहार का पूरा पता (पिन कोड सहित).....
   .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(प्रवेश–परीक्षा कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा)

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक..... परीक्षा तिथि ..... परीक्षा समय .....

परीक्षा केंद्र का नाम (पूरा पता सहित).....

.....

.....

नोट–अभ्यर्थी प्रवेश–परीक्षा हेतु इस प्रवेश–पत्र को भरकर प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर 31 मार्च, तक भेजें।

कुलसचिव

आवश्यक निर्देश :

1. क्रम संख्या 1 से 5 तक अभ्यर्थी को स्वयं भरने हैं।
2. इस प्रवेश–पत्र को परीक्षा केंद्र पर अवश्य लेकर आएँ अन्यथा परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा।
3. प्रवेश–पत्र में उल्लिखित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा हेतु उपस्थित हों।
4. परीक्षा केंद्र आवंटित होने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
5. प्रश्नों का उत्तर केवल काली स्याही वाले बॉलपैन से ही चिह्नित करें।
6. प्रश्न का उत्तर सामने दिए गए बॉक्स में चिह्नित करें। व्हाइटनर का उपयोग वर्जित है।
7. परीक्षा भवन में मोबाइल, कैलकुलेटर, लेपटॉप आदि इलैक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना वर्जित है।
8. उत्तर पुस्तिका में केवल अंतरराष्ट्रीय अंक ही लिखें, यथा–1, 2, 3